तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/4/24	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता हाजिर/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण मुल्तवी होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 8/5/24 को पेश हो।	
08/05/24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०। ट्रैकिंग रिपोर्ट मय प्रोसेस की प्रतियां आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से पेश करें। अन्यथा वकील वादी फ्रेश नोटिस भरकर पेश करें, जो बाद जरिये रजिस्टर्ड AD डाक से जारी हो। वास्ते तलबी इंतजार हेतु पत्रावली दिनांक 30/05/24 को पेश हो। Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
30/5/24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप०। अर्ज किया कि अप्रार्थी के नोटिस भरकर पेश, जो बाद जरिये रजिस्टर्ड AD डाक से जारी किया जावेगा। वास्ते आगामी पेशी पर न्यायालय में आवश्यक रूप से ट्रैकिंग रिपोर्ट मय डाक रसीद तलब नोटिस की एक प्रति पेश करें। पत्रावली दिनांक 24/6/24 को पेश हो। Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
24/06/24	पत्रावली पेश। मूलवाद आदेशिकानुसार अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। वकील प्रार्थी उप०।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
	एकपक्षीय बहस सुनी गई। मुताबिक बहस अर्जी प्रार्थी - " ग्राम बिरामी, ख. सं. 522/1 प्रार्थी, अप्रार्थीगण के पिता के नाम 1/2-1/2 हि. सहखातेदारी में दर्ज है। विवादित भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण बिना विभाजन भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। अतः अप्रार्थीगणों को पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थी की ढाणी में तोड़फोड़ ना करें ना ही किसी प्रकार का निर्माण करें।"
	उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति तीनों प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। प्रार्थी विवादित भूमि का recorded tenant है। बिना विभाजन नवीन-निर्माण से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है। अतः प्रार्थी का प्रा: पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों को पाबंद किया जाता है कि वे ताफैसला मूलवाद ग्राम बिरामी, ख. सं. 522/1 के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो।
	Priyanka उपखण्ड / सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर [Seal: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर — सत्यमेव जयते]